राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.7(111)नविवि/3/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक 20 AUG 2018

आदेश

माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26.04.2018 को मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में आवासन मण्डल की तरफ से रखे गये इस बिन्दु पर गहन चर्चा हुई कि मण्डल स्तर पर भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना जारी होने व अवार्ड जारी करने के बाद भी इस अवाप्ति प्रकिया के अधीन भूमि का खातेदारों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दिया गया है। इस बेचान से अवार्ड के बतौर विकसित भूमि देने व भूमि का कब्जा लेने में दिक्कते आ रही है। इसी वजह से कई स्थानों पर योजना की कियान्विति में दिक्कतें आ रही है व वादों की संख्या बढ रही है। अतः इस समस्या के निराकरण के लिए इस तरह के केताओं को विकसित भूमि (खातेदार को विकसित भूमि देय होने की स्थिति में) देने का निर्णय लिया गया।

इसी निर्णय के कम में आवासन मण्डल के साथ ही अन्य नगर विकास न्यासों/प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में भी इस प्रकार के प्रकरण ध्यान में लाये गये। अतः सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय के कम में इस प्रकार की समस्याओं के निराकरण व वादकरण (Litigation) को कम करने व योजनाओं की कियान्विति सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकार के बेचान होने व केताओं के पक्ष में विकसित भूमि देने बाबत् निम्न प्रकिया निर्धारित की जाती है:--

1. सर्व प्रथम इस हेतु केताओं से आवेदन लिये जावेगे तथा आवेदन के साथ दस्तावेज भी संलग्न होगें।
2. इसके बाद विकसित भूमि आवंटन बाबत् आपत्तियॉ आमंत्रित की जावेगी व आपत्तियॉ प्राप्त होने पर उनका निस्तारण किया जावेगा।
3. तत्पश्चात भूमि अवाप्ति के अधीन जारी आदेशों के तहत विकसित भूमि देय होने की स्थिति में संबंधी केता को विकसित भूमि दी जावेगी व राशि 100/--रू प्रति वर्गमीटर संबंधित आवासन मण्डल/नगर विकास न्यासों/प्राधिकरणों/नगरीय निकायों को देय होगी।
4. केता को मुआवजे की भूमि देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मुआवजे के रूप में कोई भूमि या राशि पूर्व में खातेदार को नहीं दी गयी है।
5. यदि मुआवजा राशि न्यायालय में जमा है तो उसे प्रत्याहरित करने के पश्चात ही नियमानुसार विकसित भूमि दी जावेगी।
6. उक्त आदेश दिनांक 31.10.2018 तक प्रभावी रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम